

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

—: आदेश :-

क्रमांक— <sup>166</sup> / एक—9—3 / 2001(S.W.) जबलपुर दिनांक .....30.12.2023

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक—सी/2262/तीन—6—3/1989 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के अनुसार विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. की न्यायालय रिक्त होने अथवा उनके किसी भी प्रकार के अवकाश की दशा में जिले में वरिष्ठता क्रम में उपलब्धता के आधार पर सारणी के अनुसार अधिकृत किया जाता है—

—: सारणी :-

क्रं.	न्यायालय का पदनाम	न्यायालय का पदनाम जिसके पीठासीन अधिकारी कार्य करने हेतु अधिकृत रहेंगे	न्यायालयों के पदनाम जो कॉलम नं० (3) में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर क्रमानुसार कार्य करेंगे।
1	2	3	4
1	सप्तम एएसजे, जबलपुर (विशेष न्याया. एन. डी.पी.एस. से संबंधित)	छब्बीसवां एएसजे, जबलपुर	1 सत्रहवां एएसजे, जबलपुर 2 तेरहवां एएसजे जबलपुर 3 पन्द्रहवां एएसजे, जबलपुर 4 सोलहवां एएसजे, जबलपुर

**नोट:-** यदि स्थिति यह निर्मित होती है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष सारणी के कॉलम नंबर 03 एवं 04 अनुक्रमांक में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त तिथि में अनुपस्थित रहते हैं तो इस दशा में जबलपुर मुख्यालय में जो वरिष्ठताक्रम में अपर सेशन न्यायाधीश उपलब्ध रहेंगे उनके द्वारा अत्यावश्यक कार्य का निराकरण किया जाना जावेगा।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जबलपुर